निगरानी संख्या 39/12

तारीख रजू– 10/09/12

1– कैलाश नाथ 2– सूरजनाथ पुत्रान हीरा नाथ जाति नाथ निवासी चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

----निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– केदार पुत्र प्रभू नाथ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुरा ।

2– सरपंच ग्राम पंचायत रजमाना तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। –अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक– 30/01/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत रजमाना की पत्रावली संख्या 16/2000 में पारित निर्णय दिनांक 07/04/2001 की विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत रजमाना ने ग्राम रतनपुरा में स्थित भूमि खं0नं0 425 में से अप्रार्थीगण को पट्टा जारी किया गया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 16/2000 में पारित निर्णय दिनांक 07/04/2001 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थीगण 2 की और से वाद तामील कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थीगण 1 मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों क़े विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम रतनपुरा में स्थित भूमि खं0नं0 425 प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात भूमि है, उक्त भूमि प्रार्थी के पिता कों आंवटित हुई थी। प्रार्थीगण रोजगार व मजदुरी हेतु कस्बा चौथ का बरवाड़ा में बस गए जबकि विपक्षी रतनपुरा में ही रह रहे है। प्रार्थीगण की गैर मोजूदगी का अनुचित लाभ उठाते हुए ग्राम पंचायत से साजकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खं0नं0 425 के एक भाग को पट्टा अप्रार्थीगण ने बनवा लिया । आलोच्य निर्णय में ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि मानकर फैसला किया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि खातेदारी भूमि खं0नं0 425 रकबा 0.13 है0 का ही एक भाग है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। ग्राम पंचायत को भूमि बेचान नियमों के मुताबिक पंचायत में निहित आबादी भूमि को ही धारा 136 राज0 पंचायत नियम 1996 की प्रक्रिया अपनाकर ही पट्टा देने के अधिकार है। पंचायत ने पट्टा विलेख जारी करने में भी निर्धारित प्रावधानों 167 की स्पष्ट रूप से अवहेलना कर निर्णय की दिनांक 07/04/2001 में पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने बिना किसी नोमर्स के प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत केवल आबादी में पट्टा देने का अधिकार है, खातेदारी भूमि में से नहीं। अतः उक्त निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/04/2001 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा 2/रू0 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से पट्टा जारी किया गया है। जो सही है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के यहां मुकदमा चला , जिसमें फर्द मौका चाही गई , फर्द मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण 1 का मकान बना होना स्पष्ट किया हुआ है। अदालत माताहत द्वारा नार्मस के अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07/04/2001 यथावत रखते हुए निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

17/A

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि सम्वत् 2063 से 2066 की जमाबन्दी में उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं प्रार्थी की खातेदारी में से पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को प्रार्थी को आपत्ति नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे। जिसका अभाव इस प्रकरण में पाया गया है। उक्त वाद आराजीयात में से पट्टा जारी में पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज्य की धारा 136,156,167 का उल्लधंन भी पाया गया है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 16/2000 में पारित आदेश दिनांक 07/04/2001 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर